न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या –117/2019 (Bank Case)

ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में " ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय– 19–ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. M/s URS Ghena Through Paretners (ऋणी–बंधककर्ता)
   श्री उपेन्द्र कुमार सोनी एण्ड श्रीमति सालिनी सोनी
   पता– 19–डी, न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा राजस्थन–324007
2. M/s Princess Collection Through Proprietor (सह–ऋणी)
   पता– 19–डी, न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा राजस्थान–324007
3. उपेन्द्र कुमार सोनी पुत्र श्री गोरधनलाल सोनी (सह–ऋणी)
   पता– 19–डी, न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा राजस्थान–324007
4. श्रीमति सालिनी सोनी पत्नि श्री उपेन्द्र कुमार सोनी (सह–ऋणी)
   पता– 19–डी, न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा राजस्थान–324007
5. श्री रोहिताभ सोनी पुत्र श्री उपेन्द्र कुमार सोनी (जमानती)
   पता– 19–डी, न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा राजस्थान–324007

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 05.11.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में " ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय– 19–ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है से अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 02.03.2016 को रूपये 7,00,00,000/–(अक्षरेः रूपये सात करोड़ मात्र) का ऋण लिया था अप्रार्थी सं0 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति आवासीय **M/s URS Ghena Through Paretners** श्री उपेन्द्र कुमार सोनी एण्ड श्रीमति सालिनी सोनी **की सम्पत्ति, प्लॉट नं. सीपी–4(ए) इन्द्रा विहार कॉलोनी, ओम सीने प्लेक्स के पास कोटा राजस्थान जिसका कुल क्षेत्रफल 1875 स्क्वायर मीटर है,जो रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 11.03.2016 से अप्रार्थी सं0 1 के नाम है ।** जिसकी चर्तु सीमाएं **पूर्व में–नाला, पष्चिम में– मैन रोड ओम सीने प्लेक्स, उत्तर में–प्लॉट नं. एसपी–11 दक्षिण में–नाला** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 15.07.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 2,86,71,591/– (अक्षरे रूपये दो करोड़, छियांसी लाख, इकहत्तर हजार, पांच सौ इकरानवें मात्र) बकाया रकम दिनांक 06.08.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया ;राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 06.08.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु-उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 06.08.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 06.08.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति आवासीय M/s URS Ghena Through Paretners श्री उपेन्द्र कुमार सोनी एण्ड श्रीमति सलिनी सोनी की सम्पत्ति, प्लॉट नं. सीपी–4(ए) इन्द्रा विहार कॉलोनी, ओम सीने प्लेक्स के पास कोटा राजस्थान जिसका कुल क्षैत्रफल 1875 स्क्वायर मीटर है,जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.03.2016 से अप्रार्थी सं0 1 के नाम है । जिसकी चर्तु सीमाएं पूर्व में–नाला, पष्चिम में– मैन रोड ओम सीने प्लेक्स, उत्तर में–प्लॉट नं. एसपी–11 दक्षिण में–नाला** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 05.11.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner